

एचएपीओ विभाग  
विशेष अधिकारी  
उ०प्र० शासन

सेवा में

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2015

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-संत कबीर नगर की 02 पुनरीक्षित परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-668/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मू०वृद्धि/2015-16, दिनांक 22 मई, 2015 व पत्र संख्या-670/76/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/मू०वृद्धि/2015-16, दिनांक 22 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-संत कबीर नगर की नगर निकाय-हरिहरपुर जवाहर नगर व हरिहरपुर पटेलनगर-1 की क्रमशः 72-72 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 60-60 आवासों की 02 पुनरीक्षित परियोजनाओं हेतु क्रमशः रु० 237.69 लाख व रु० 239.68 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप संलग्न तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित देय अन्तर की धनराशि क्रमशः रु० 63.28 लाख व रु० 76.37 लाख अर्थात् कुल रु० 139.65 लाख (रुपये एक करोड़ उन्तालिस लाख पैंसठ हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-405/2015/925/09-1-15-14(75)/2015, दिनांक 31.03.2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०ए० में सुरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजनारचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निमोण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

क्रमशः.....2


श्री श्री श्री/श्री अतुल

10/7/15

5. उक्त धनराशि न हो अपितु किराई की धनराशि को आहरित कर दिया गया है। उक्त धनराशि को उपयोग में आने से पूर्व यह सुनिश्चित कर दिया जायेगा कि उक्त धनराशि का उपयोग आहरित धनराशि के अन्तर्गत सम्बन्धित किराई के लिए धनराशि आहरित करना होगा कि नगरपालिका/नगरपालिका/नगरपालिका से अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि का उपयोग होने की दशा में उक्त धनराशि को आहरित राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ एवं सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरपालिका/नगरपालिका एवं गरीबी अनुसूचित कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्त/भरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक पत्र के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यव की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करो की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/इडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किराई की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूडा/इडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/इडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30प्र0 के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का निरीक्षण महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वाैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तविक रूप से किया जायेगा।

कमाश:.....


17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्विकृत धनराशि अतिरिक्त अतिरिक्त होगी। अधिकांश से उक्त परियोजना हेतु न्यूनवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य सम्पन्न होना ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेने कि स्वीकृत परियोजना में राज्याश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी अंतिम शासनादेश संख्या 1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
  19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित सूडा को निर्देशित किया जायेगा।
  20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
  21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्राश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
  22. सूडा द्वारा शासनादेश सं0-मु0स0-29/69-1-14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या-632/2015/1406  
 (1)/69-1-15-68(बजट)/08टीसी, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संत कबीर नगर।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

का संलग्नक।

199

पुनरीक्षण क्रम सं 20

क्र.सं.	जनपद/परियोजना/कुल आवसों की संख्या।	मूल परियोजना लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवसों की संख्या।	मूल परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के आवसों की कुल परियोजना लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु प्रथम/द्वितीय किस्त व शार्टफाल के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि।	केन्द्राक्ष की धनराशि जो प्रस्तुत परताब में कलम नहीं की गयी है।	ए०एफ० ए०पी०/ई० एफ०सी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित परियोजना लागत।	पुनरीक्षित परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के आवसों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान रहित)।	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के आवसों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	पुनरीक्षण लागत अनुसार स्वीकृति हेतु मूल्य वृद्धि की कुल धनराशि (सरटेज चार्जज लेबरसेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	संत कबीर नगर/हरिहरपुर जवाहर नगर-72 आवस	200.10	60	166.75	154.47	-	285.23	237.69	217.75	63.28	
2.	संत कबीर नगर/हरिहरपुर पटेलनगर-1 नगर-72 आवस	196.82	60	164.02	155.16	-9.32	287.62	239.68	222.21	76.37	
	योग									139.65	

(रूपये एक करोड़ उन्तालिस लाख पैसठ हजार मात्र)।

*hpsk*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

<http://shashan.com>